मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 21, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 2005, दिनांक 31 मार्च, 2006 एवं दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 पटल पर रखेंगे.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास मंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 (दिनांक 1.4.2005 से 31.3.2006 तक) पटल पर रखेंगे.

(4) श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), सदस्य, प्रदेश में गेहूं खरीदी में अनियमितता एवं भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), तुलसीराम सिलावट, सदस्य, इंदौर शहर के बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन की उपयुक्त व्यवस्था न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 229 नीमच से निर्वाचित सदस्य, श्री खुमान सिंह शिवाजी को विधान सभा के जुलाई, 2011 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर नगर के -

(क) वार्ड क्रमांक-4 मेवाती मोहल्ले के बहोड़ापुर में मार्ग निर्माण किये जाने,

(ख) वार्ड क्रमांक-5 के अकबरपुर पहाड़ी क्षेत्र में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

(ग) वार्ड क्रमांक-5 शील नगर से अम्बेडकर पार्क तक मार्ग निर्माण किये जाने,तथा

(घ) वार्ड क्रमांक-5 शील नगर से अम्बेडकर पार्क की बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने,

(2) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के -

(क) ग्राम किशनपुर को आर.बी.सी. नहर से जोड़े जाने,

(ख) ग्राम प्राणपुरा के बांदिया नाले पर रपटा निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम नया विनेगा पंचायत काली पहाड़ी के आदिवासियों की कृषि भूमि हेतु सिंचाई की व्यवस्था किये जाने,

(घ) नरवर करैरा मार्ग से मौजपुर श्यामपुर नया विनेगा तक मार्ग निर्माण किये जाने, तथा

(ङ) ग्राम सिलानगर के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 20 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

1 घन्टा (1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008, 2008-2009 एवं 2009-2010 पर चर्चा.

1 घन्टा (2) मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 पर चर्चा.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 11 जुलाई, 2011